रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230451
CG-DL-E-16102021-230451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 599]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 742(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (ग) के उपखंड (i) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (नमूने लेने की रीति और नोटिस का प्रारूप) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों को लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रारूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है;

(ग) “धारा” से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः अधिनियम में है।

3. **नोटिस की तामील** – आयोग या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति को उस समय और वहां उसके नमूने का विश्लेषण करवाने के आशय का प्रारूप 1 में नोटिस तामील करेगा।

4. **नमूने लेने की रीति** – (1) आयोग या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन किसी चिमनी, धुंआकश या नलिका, संयंत्र या किन्हीं अन्य स्त्रोतों और निकास द्वारों, चाहे स्थिर हों या चलायमान, से विश्लेषण के प्रयोजन के लिए वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने की शक्ति होगी।

(2) अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता या उस स्थान का भारसाधक व्यक्ति चिमनी, धुंआकश या नलिका, संयंत्र या किन्हीं अन्य स्त्रोतों और निकास द्वारों, चाहे स्थिर हों या चलायमान, से वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसा आयोग या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता या उस स्थान का भारसाधक व्यक्ति नमूना लेने वाले स्थानों तक पहुंच के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसा आयोग या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) वायु या गैसीय उत्सर्जनों के नमूने या तो अवशोषक विलयन और/या उपयुक्त आधान में और/या किसी उपयुक्त फिल्टर/अंगुशताना और/या अन्य किसी उपलब्ध प्रौद्योगिकी में लिए जाएंगे :

परन्तु किए जाने वाले विश्लेषण के प्रकार या मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, आयोग या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी नमूनों के संग्रहण हेतु किसी अन्य उपयुक्त पद्धति या उपस्कर का प्रयोग कर सकेगा।

(5) धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन आयोग या नमूने लेने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी उस धारा की उपधारा (4) के खंड (ग) और (घ) के उपबंधों का अनुसरण करेगा।

प्रारूप 1

[नियम 3 देखिए]

नोटिस का प्रारूप

सेवा में,

उस परिसर के, जिससे वायु/उत्सर्जन का नमूना लिया जाना है, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति की हैसियत से सूचना की तामील की जाती है कि वायु/उत्सर्जन के नमूने का विश्लेषण किया जाना आशयित है जिसे उक्त परिसर, अर्थात् ----------- के ---------------- से* आज तारीख ------------- मास ------------ 20--------- को लिया जा रहा है।

उस व्यक्ति का नाम और पदनाम जो नमूना लेता है।

***यहां उस गर्री, चिमनी या किसी अन्य निकास द्वार को विनिर्दिष्ट करें जिससे वायु उत्सर्जन का नमूना लिया जाना है ।**

[फा. सं. क्यू.-15014/08/2021-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

G.S.R. 742(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 25, read with clause (a) and sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (4) of section 12 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title, commencement and application.-** (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Manner of Taking Samples and Form of Notice) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the National Capital Region and adjoining areas.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region & Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021);

(b) "Form" means form appended to these rules;

(c) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Service of notice.-** The Commission or the officer authorised by it in this behalf shall serve on the occupier or his agent or person in charge of the premises a notice then and there in **Form I** of his intention to have the sample analysed.

4. **Manner of drawing samples.- (1)** The Commission or the officer authorised by it in this behalf shall have the power to take, for the purpose of analysis , samples of air or emission from any chimney, flue or duct, plant or any other sources and outlets, stationary or mobile under sub–section (4) of section 12.

(2) The occupier or his agent or person in charge of the premises shall provide all necessary facilities for taking samples of air or emission from any chimney, flue or duct, plant or any other sources and outlets, stationary or mobile, as may be specified by the Commission or the officer authorised by it in this behalf.

(3) The occupier or his agent or person in charge of the premises shall provide all necessary facilities for access to the sampling places as may be specified by the Commission or the officer authorised by it in this behalf.

(4) The samples of air or gaseous emissions shall be taken either into an absorbing solution and / or in a suitable container and / or on a suitable filter / thimble and / or any other any other available technology:

Provided that depending upon the type of analysis to be conducted, or the circumstances of the case, the Commission or the officer authorised by it in this behalf may use any other suitable method or, equipment to collect samples.

(5) The Commission or the officer authorised by it in this behalf to take samples under clause (a) of sub-section (4) of section 12 shall follow the provisions of clauses (c) and (d) of sub-section (4) of that section.

FORM I

[See rule 3]

FORM OF NOTICE

To,

……………………
……………………
……………………

Take notice in your capacity as occupier or agent or person in charge of the premises from which sample of air / emission is taken that it is intended to have analysed the sample of air / emission which is being taken today the ___________day of month _________________ of 20____ from* _____________________________________of the said premises, namely_____________.

Name and designation of the person
who takes the sample

***Here specify the stack, chimney or any other outlets from which sample of air emission is being taken.**

[F. No. Q-15014/08/2021-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.16 17:06:31 +05'30'